पंचायत अधिनियम
भूमि सुधार अधिनियम
वासगीत पर्चा
जमीन्दारी क्षतिपूर्त्ति

पत्र संख्या 8/भु0 सु0 - पंचायत - 733/ रा०
बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ।

प्रेषक

श्री के0 ए0 एच0 सुब्रमणियन,
आयुक्त एवं सचिव ।

सेवा में,

सभी समाहर्त्ता ।

पटना, दिनांक - 26.9.2001

विषयः त्रिस्तरीय पंयाचतों को शक्तियों के प्रतिनिधायन के संबंध में ।

महाशय,

सरकार के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि ग्राम पंचायत स्तर पर पदस्थापित राजस्व कर्मचारियों को आकस्मिक अवकाश तथा मुख्यालय छोड़ने की अनुमति मुखिया के अनुमोदन के पश्चात् ग्राम पंचायत सचिव द्वारा निर्गत उपस्थिति विवरणी के आधार पर संबंधित विभागीय नियंत्री पदाधिकारी के द्वारा किया जायेगा ।

कृपया उपर्युक्त निर्णय को अपने अधीनस्थ सभी स्तर के पदाधिकारियो/कर्मचारियों को अवगत करा दियाजाय एवं अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।

इस निर्णय को अपने जिला के जिला परिषद, पंचायत समिति एवं पंचायतों के मुखिया को भी अवगत करा दिया जाय ।

विश्वासभाजन,

(के0 ए0 एच0 सुब्रमणियन)
आयुक्त एवं सचिव ।

ज्ञापा संख्या - 733/रा० पटना, दिनाक - 26.9.2001
प्रतिलिपि सभीप्रमंडलीय आयुक्तों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ ।

(के0 ए0 एच0 सुब्रमणियन)
आयुक्त एवं सचिव ।

ज्ञापाक संख्या - 733/रा० पटना, दिनांक - 26.9.2001
प्रतिलिपि सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, (ग्राम्य अभियंत्रण संगठन, पंचायत राज) बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ ।

आयुक्त एवं सचिव ।

(के0 ए0 एच0 सुब्रमणियन)
आयुक्त एवं सचिव ।

पत्र संख्या 8/भु0 सु0 - पंचायत - 22/2001 - 732/ रा०

बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ।

प्रेषक

श्री के0 ए0 एच0 सुब्रमणियन,
आयुक्त एवं सचिव ।

सेवा में,

सभी समाहर्त्ता ।

पटना, दिनांक - 26.9.2001

विषय: त्रिस्तरीय पंचायतों को शक्तियों के प्रतिनिधायन के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक राजस्व एवं भूमि सुधारविभाग से संबंधित प्रस्ताव पर विचारोपरात मंत्रिपरिषद द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार निम्नांकित आदेश दिये जाते हैं :-

1 <u>भूमि बन्दोबस्ती -</u>

भूमि की बन्दोबस्ती/गैर मजरूआ आम जमीन कीप्रकति में परिवर्तन से संबंधित सभी मामलों मेंग्रामसभा की अनुशंसा प्राप्त की जायेगी ।

2. <u>पारम्परिक जल श्रोतों का उन्नयन/रख-रखाव -</u>

1. अपने क्षेत्र अन्तर्गत अवस्थित पारम्परिक जल श्रोतों यथा जमींदारी बांधों/जलाशयों/आहर/पईन आदि के उन्नयन हेतु श्रोतों का चयन, मरम्मत एवं रख-रखाव ग्राम पंचायत द्वारा किया जायेगा ।

2. एक से अधिक पंचायतों में अवस्थित पारम्परिक जल श्रोतों यथा जमींदारी बांधों/जलाशयों/आहर/पईन आदिके उन्नयन हेतु श्रोतों का चयन, मरम्मत एवं रख-रखाव पंचायत समिति द्वारा किया जायेगा ।

3. <u>सार्वजनिक चारागाह -</u>

पंचायत के अन्तर्गत अवस्थित सार्वजनिक चारागाहो के रख-रखाव का दायित्व ग्राम पंचायत को सौंपा जायेगा तथा उसके विकास एवं रख-रखाव की जिम्मेवारी ग्राम पंचायत की होगी । चारागाह की जमीन के अनाधिकृत अंतरण, उपयोग एवं प्रयोग पर रोक लगाने की जिम्मेवारी ग्राम पंचायत की होगी ।

4. <u>गृह विहीनों को गृह स्थल -</u>

ग्राम पंचायत के अन्तर्गत गृह विहीनो को गृह स्थल उपलब्ध कराने हेतु गृह स्थल का चयन ग्राम सभा द्वारा किया जायेगा । गृह विहीनों की सूची ग्राम पंचायत द्वारा बनाई जायेगी । वासगीत जमीन के लिए सरकारी भूमि उपलब्ध नहीं रहने पर ग्राम पंचायत इस उद्देश्य हेतु जमीन अधि ग्रहण करने एवं तदनुसार आवश्यक राशि की व्यवस्था करने का प्रस्ताव पंचायत समिति तथा जिला परिषद के माध्यम से सरकार को देगी ।

5. <u>सम्पर्क पथ हेतु भूमि उपलब्ध कराना -</u>

अपने क्षेत्र अन्तर्गत सम्पर्क पथों की आवश्यकता की सूची ग्राम पंचायत बनायेगी । गांव तक पहुंचने के लिए जहां सम्पर्क पथ न हो वहां सम्पर्क पथ के लिए जमीन की व्यवस्था कराने की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत की होगी । यदि पंचायत स्तर पर यह व्यवस्था न हो सके तो पंचायत प्रत्येक वर्ष योजना बनाकर पहुंच पथ के लिए भू-अर्जन करने का प्रस्ताव जिला समाहर्त्ता को प्रस्तुत करेगी । सम्पर्क पथ के लिए सार्वजनिक जमीन या अनाबाद बिहार सरकार की जमीन का उपयोग करने के लिए ग्राम पंचायत अपना प्रस्ताव भेज सकेगी ।

6. <u>सामुदायिक परिसम्पत्तियों का रख-रखाव -</u>

अनाबाद बिहार सरकार एवं अनाबाद सर्वसाधारण भूमि के अतिरिक्त अन्य राजस्व विभाग की सम्पत्ति यथा तहसील कचहरी, कांजी हाऊस इत्यादि के रख-रखाव कीजिम्मेवारी ग्राम पंचायत की होगी । अनाबाद बिहार सरकार एवं अनाबाद सर्वसाधारण भूमि एवं अन्य परि-सम्पतियों को

अतिक्रमण से मुक्त रखने की जिम्मेवारी भी ग्राम पंचायत की होगी ।

7. सर्वेक्षण -

सर्वे के दौरान भू-अभिलेख अथवा स्वत्व तथा संपत्ति अभिलेख के निर्माण में ग्राम पंचायत का मंतव्य प्राप्त किया जायेगा । भू-अभिलेख के प्रकाशन से पहले पंचायत का मंतव्य प्राप्त किया जायेगा एवं पंचायत की आपत्ति तथा सुझाव पर सविस्तार जांच के बाद ही प्रारूप प्रकाशन किया जायेगा । भू-माप एवं सर्वेक्षण में जो मापक चिन्ह बनाये जाते हैं उनकी सुरक्षा तथा रख-रखाव की जिम्मेवारी ग्राम पंचायत को सौंपी जायेगी।

8. भू-अभिलेखों की प्रति उपलब्ध कराना -

भू-अभिलेखों की पारदर्शिता तथा ग्राम वासियों की सहुलियत तथा सहज उपलब्धता के लिए भू-अभिलेख की एक प्रति ग्राम पंचायत को उपलब्ध कराई जायेगी । ग्राम पंचायत द्वारा मांगे जाने पर हल्का कर्मचारी अनिवार्य रूप से अभिलेख दिखायेंगे ।

9. राजस्व संग्रहरण -

बिहार पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 23 (1) (ग) के अधीन ग्राम पंचायत की सहमति प्राप्त होने पर राजस्व संग्रहण का दायित्व ग्राम पंचायत को दिया जा सकता है । राजस्व संग्रहण के कार्य हेतु पंचायत को सरकार द्वारा निर्धारित संग्रहण शुल्क प्राप्त होगा ।

10. हल्का कर्मचारियों का वेतन भुगतान -

हल्का कर्मचारी का वेतन उनके मुख्यालय के मुखिया के अनुमोदन के पश्चात् ग्राम पंचायत सचिव द्वारा निर्गत अनुपस्थिति विवरणी के आधार पर दिया जायेगा ।

कृपया उपर्युक्त सरकारी निर्णयों को अपने अधिनस्थ सभी पदाधिकारियों को अवगत कराया जाय ।

आपके जिला के जिला परिषद, पंचायत समिति एवं पंचायतों के मुखिया को भी इस निर्णय से अवगत कराया जाय एवं इसका अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय ।

विश्वासभाजन,

(के० ए० एच० सुब्रमणियन)
आयुक्त एवं सचिव ।

ज्ञापा संख्या - 733/रा० पटना, दिनांक 26.9.2001

प्रतिलिपि सभी प्रमंडलीय आयुक्तों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ ।

(के० ए० एच० सुब्रमणियन)
आयुक्त एवं सचिव ।

ज्ञापांक संख्या - 733/रा० पटना, दिनांक 26.9.2001

प्रतिलिपि सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, (ग्राम्य अभियंत्रण संगठन, पंचायत राज) बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं अवकाश कार्यार्थ ।

(के० ए० एच० सुब्रमणियन)
आयुक्त एवं सचिव ।

पत्र संख्या 8/भु0 सु0 सं0 सड़क 2/2001 - 875/ रा०
बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ।

प्रेषक

श्री के0 ए0 एच0 सुब्रमणियन,
आयुक्त एवं सचिव ।

सेवा में,

सभी समाहर्त्ता ।

पटना -15, दिनांक - 13.9.2001

विषयः सम्पर्क सड़क योजना तथा गृह स्थल योजना के सम्बन्ध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को इन दोनों योजनाओं हेतु मात्र सरकारी जमीन उपलब्ध कराना है । यदि सरकारी जमीन उपलब्ध नहीं हो तो उस हालत में जमीन अर्जन कर जमीन उपलब्ध कराना है । अर्थात् गृह स्थल योजना के लिये जहां बी0 पी0 पी0 एच0 टी0 अधिनियम के तहत पर्चा नहीं दी जा सकती है और सरकारी जमीन उपलब्ध नहीं होने पर जमीन अर्जन कर प्रश्रय प्राप्त रैयतों को जमीन गृह स्थल के लिए उपलब्ध कराना है। यहां यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि मकान बनाने हेतु राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के पास कोई प्रावधान नहीं है ।

2- इसी तरह ऐसे टोले या गांव जिसका कोई भी सम्पर्क सड़क नहीं है, उन्हें सम्पर्क सड़क से जोड़ने हेतु जमीन उपलब्ध कराना है । इस सम्बन्ध में सरकारी जमीन उपलब्ध हो तो उसे हस्तानान्तरण द्वारा मुहैया कराना है और यदि सरकारी जमीन उपलब्ध नहीं है तो जमीन अर्जन कर उपलब्ध कराना है । यह स्पष्ट कर दियाजाता है कि सड़क बनाने का कोई प्रावधान राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अन्तर्गत नहीं है सड़क ग्रामीण विकास विभाग द्वारा चलाये जा रहे योजना के अंतर्गत या आर. ई. ओ. के अन्तर्गत बनाया जाता है । आर. ई. ओ.द्वारा कार्यान्वित किये जा रहे प्रधान मंत्री सड़क योजनान्तर्गत भी ऐसे सड़कों को शामिल कराने पर विचार किया जा सकता है ।

3- इन दोनों तरह की योजनाओं के लिए आवश्यक भू-अर्जन की कार्रवाई आपात प्रक्रिया के अंतर्गत करने का निर्देश पहले ही निर्गत किया जा चुका है । भू-अर्जन के मामले में 5 (पांच) लाख रूपये तक के कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति समाहर्त्ता एवं 15 (पन्द्रह) लाख तक के कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति प्रमण्डलीय आयुक्त को Delegated Powers है । सिर्फ वैसे हीं प्रशासनिक स्वीकृति के मामले जो 15 (पन्द्रह) लाख रूपये से अधिक के बनते हैं, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को स्वीकृति हेतु भेजे जा सकते हैं ।

4- सम्पर्क सड़क बनाने में यदि सरकारी जमीन पर अतिक्रमण की बाधा सामने आती है तो अतिक्रमण दूर करने की नियमानुसार कार्यवाही की जा सकती है ।

5- विभागीय पत्रांक-59/रा0 दिनांक 16.3.2001 द्वारा आवटन जिलों को किया जा चुका है ।

इस क्रम में निर्गत निदेशानुसार इस राशि की निकासी कर सी0 डी0 में डालना था । अब सी0 डी0 से विमुक्ति हेतु Challan की प्रति के साथ प्रस्ताव भेजा जाय ताकि वित्त विभाग का अनुमोदन प्राप्त किया जा सके ।

विश्वासभाजन,

(के0 ए0 एच0 सुब्रमणियन)
आयुक्त एवं सचिव ।

ज्ञापांक - 875/रा० पटना 13.9.2001

प्रतिलिपि सभी प्रमंडलीय आयुक्तों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(के0 ए0 एच0 सुब्रमणियन)
आयुक्त एवं सचिव ।

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

॥ अधिसूचना ॥

पटना - 15 , दिनांक 17.6.2000

एस0 ओ0 285 चूंकि बिहार साहूकार अधिनियम 1974 (बिहार अधिनियम सं0 -22, 1975) की धारा -12 में यह उपबंध है कि कृषि भूमि सम्बन्धी भोग बंधक के मूलधन और सभी पावनों को ऐसी भूमि सम्बन्धी बंधक-पत्र के निष्पादन की तिथि से सात वर्षों की अवधि समाप्त होने पर पूर्णत: चुका दिया गया और बंधक का पूर्णत: मोचन हुआसमझा जाएगा तथा बंधककर्ता बंधकित भूमि पर कब्जा पाने का हकदार होगा।

और चूंकि बिहार साहूकार अधिनियम 1974 की धारा - 12 का उद्देश्य जमीन बंधक रखने वाले गरीबों को राहत पहुंचाना था और ऋण का सूद नियंत्रण करना था, परन्तु राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या - एस0 ओ0 207 दिनांक 13.2.1981 द्वारा जमीन बंधक रखने वाले गरीब और जरुरतमन्द व्यक्तियों को अधिनियम में दिये गये अधिकार का ही हनन हो गया है।

और, चूंकि राज्य सरकार यह आवश्यक समझती है कि ऐसे गरीबो को राहत पहुंचाने के लिए पूर्व में निर्गत अधिसूचना, अधिसूचना संख्या - एस0 ओ0 207 दिनांक 13.2.1981 को भूतलक्षी प्रभाव से निरसित (रिपील) किया जाय ।

इसलिए, अब, उक्त अधिनियम की धारा -3 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार पूर्व में निर्गत अधिसूचना, अधिसूचना संख्या - एस0 ओ0 - 207 दिनांक 13.2.81 को भूतलक्षी प्रभाव से निरसित (रिपील) करती है ।

संचिका संख्या - 11/भू0 सु0 -10-8/99
बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(ए0 के0 चौबे)
सरकार के उप सचिव ।

एस0 ओ0 - 285 दिनांक - 17.6.2000 का निम्नलिखित अंग्रेजी में अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा ।

संचिका संख्या - 11/भू0 सु0 -10-8/99
बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(ए0 के0 चौबे)
सरकार के उप सचिव ।

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञापांक - 11/भू सु0 -10-8/99 285 / रा०, पटना- 15 दिनांक - 17.6.2000

प्रतिलिपि अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग पटना-7 को अधिसूचना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित करते हुए इसकी 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियां राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित ।

(ए0 के0 चौबे)
सरकार के उप सचिव ।

Government of Bihar,

Revenue & Land Reforms Department.

NOTIFICATION

Date : 17.6.2000

S.O. 285 / whereas, section 12 of the Bihar Money Lenders Act, 1974 (Bihar Act 22 of 1975), provides that the principal amout and all dues in respect of a usufructuary mortgage relating to any agricultural land shall be deemed to have been fully satisfied and the mortgage shall be deemed to have been wholly redeemed on expiry of a period of seven years from the date of the execution of the mortgage bond; in respect of such land the mortgagor shall be entitled to recover possession of the mortgaged land;

And whereas, the aim of section 12 of Bihar Money Lenders Act, 1974 was to give relief to poor persons mortgaging land and to control interest of credit but, the right givenby the said Act to poor and needy persons mortgaging land has been taken away by notification no.S.O. 207 dated 13.2.1981, issued by Revenue and Land Reforms Department.

And whereas the State Government consider it necessry that the notification issued earlier, notification no. S.O. 207 dated 13.2.1981 be repealed with retrospective effect to give relief to such poor persons.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the said Act, the State Goernment is pleased to repeal the notification issued earlier, notification no.S.O. 207 dated 13.2.1981 with retrospective effect.

File No. 11 L.R. 10-8/99

By order of the Governor of Bihar,

(A. K. Choubey)

Deputy Secretry to Government

पत्र संख्या :- 11/भू0 सु0 वि0 - 6/99-749 /रा०

बिहार सरकार,

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

प्रेषक,

श्री डी0 पी0 महेश्वरी

आयुक्त एवं सचिव ।

सेवा में,

सभी समाहर्त्ता/उपायुक्त ।

पटना - 15, दिनांक 20.7.99

विषय: वासगीत हेतु भूमि का वितरण ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि पूर्व से प्रिभेलेज पर्शसम्स होमस्टेट टेनेन्सी एक्ट के अंतर्गत रैयती भूमि पर बसे व्यक्ति एवं परिवारों को वासगीत का पर्चा दिया जाता रहा है, ताकि गृह विहिनों को अपना वास हो सके । सुयोग्य श्रेणी के व्यक्तियों एवं परिवारों को सरकारी भूमि (गैर मजरूआ आम रहित) आवास हेतु नि:शुल्क बन्दोबस्त हेतु शक्तियाँ अनुमंडलाधिकारियों को प्रदत्त है, जिसके आलोक में उनके द्वारा आवास हेतु अधिकतम 12.5 डी0 तक भूमि बन्दोवस्ती का प्रावधान है ।

2- सरकार यह महसूस करती है कि अभी भी राज्य के अधिकांश गांव में गरीब एवं सुयोग्य श्रेणी के बहुत से ऐसे परिवार हैं, जिन्हें अपना आवास नहीं है तथा गृह विहीन हैं । सरकार गृहविहीनों की दशा से काफी चिन्तित है । सरकार का यह दृढ़ निश्चय है कि यदि भूमि सुधार कार्यक्रमों का कार्यान्वयन अधीनस्थ पदाधिकारियों द्वारा निष्ठापूर्वक समय सीमा के अंदर किया जाय तो गरीबों एवं सुयोग्य श्रेणी के गृहविहीनों को आवासीय भूमि उपलब्ध कराने की दिशा में आशातीत प्रगति हो सकती है ।

3- अतएव सरकार ने लोकहित में गरीबों एवं सुयोग्य श्रेणी के गृहविहीन परिवारों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु निम्नांकित निर्णय लिया है, जिसका अविलंब कार्यान्वयन कृपया सुनिश्चित किया जाय ।

(i) देहाती क्षेत्रों में रैयती भूमि पर यदि गृहविहीन व्यक्ति पूर्व से अपना आवास बनाकररह रहे हैं तो उनके साथ बिहार विशेषाधिकृत प्रश्रय प्राप्त वास भूमि काश्तकारी अधिनियम के प्रावधान के अंतर्गत तुरत अग्रेत्तर कार्रवाई की जाय ।

(ii) देहाती क्षेत्रों में उपलब्ध गैर मजरूआ भूमि (गैर मजरूआ आम रहित) को चिन्हित कर सुयोग्य श्रेणी के सभी गृहविहीन परिवारों को आवास हेतु कम से कम चार डिसमील भूमि की बन्दोवस्ती कीजाय । गैरमजरूआ आम भूमि की यदि प्रकृति बदल गई हो तो ऐसी भूमि की बन्दोवस्ती का विधिवत बन्दोवस्ती प्रस्ताव कृपया प्रमंडलीय आयुक्त के माध्यम से सरकार को भेजा जाय ।

(iii) यदि उपलब्ध गैर मजरूआ भूमि से उस गांव के सभी सुयोग्य श्रेणी के गृहविहीन परिवारों को आवासीय भूमि बंदोवस्त नहीं होती है तो कृपया अधीनस्थ पदाधिकारी से सर्वेक्षण कराकर यह सुनिश्चित हो लिया जाय, कितने गृहविहीन परिवार बचते हैं । उनके आवास हेतु कम से कम चार डिसमील भूमि के हिसाब से रैयती भूमि अर्जन करने के लिए अनुमानित व्यय का विधिवत प्रस्ताव भेजा जाय ताकि निधि की व्यवस्था कर भू-अर्जन कर आवासीय भूमि उपलब्ध कराई जा सके ।

4- कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय एवं कृत कार्रवाई से संबंधित पूर्ण प्रतिवेदन सरकार को शीघ्र भेजा जाय ।

विश्वासभाजन

(डी0 पी0 महेश्वरी)
आयुक्त एवं सचिव ।

ज्ञापांक / (749) रा० पटना - 15, दिनांक - 20.7.99

प्रतिलिपि सभी प्रमंडलीय आयुक्त की सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(डी0 पी0 महेश्वरी)
आयुक्त एवं सचिव ।

पत्र संख्या :- 8/ खा० म० नीति 2/99 - 1102 / रा०,

बिहार सरकार,

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ।

प्रेषक,

श्री डी० पी० महेश्वरी,
श्री आयुक्त एवं सचिव ।

सेवा में,

आयुक्त एवं सचिव,
ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना

पटना 15 दिनांक, 24.6.99

विषय :- राज्य के प्रत्येक गाँवों/टोले/मुहल्ले को सम्पर्क सड़क से यातायात हेतु जोड़ने के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि सरकार यह महसूस करती है कि राज्य के अधिकांश गांव का मुख्य सड़क से सम्पर्क नहीं रहने के कारण ग्रामीणों को यातायात में अत्यधिक कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है ।

2. विभाग की ओर से सरकार द्वारा विधानमंडल में घोषणा की गयी है कि राज्य के जिस गांव के टोले/मुहल्ले में जाने के लिए सड़क नहीं है, वहाँ सड़क निर्माण के लिए गैर-मजरूआ जमीन उपलब्ध करायी जायेगी, गैर मज़रूआ जमीन उपलब्ध नहीं होने पर भूमि अर्जन कर सड़क बनाने हेतु दिया जायेगा ताकि ग्रामीणों को यातायात सुलभ हो सके ।

3. अतएव राज्य के लोकहित में आवश्यक प्रतीत होता है कि राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों जिसमें उग्रवाद प्रभावित गाँव भी सम्मिलित है के टोले एवं मुहल्ले जहा आवागमन के लिए कोई सड़क मार्ग उपलब्ध नहीं है, को सड़क निर्माण कर मुख्य सड़क से सम्पर्क मार्ग बनाने हेतु वहाँ उपलब्ध गैर मजरूआ भूमि का सर्वेक्षण कराकर सड़क निर्माण हेतु अपने विभाग की ओर से अधीनस्थ पदाधिकारियों द्वारा सर्वेक्षण कराकर अग्रेत्तर कार्रवाई करने की कृपा की जाय । सम्पर्क मार्ग/सड़क निर्माण हेतु जहाँ गैरमजरूआ भूमि उपलब्ध नहीं हो वहाँ आवश्यकतानुसार रैयती भूमि भू-अर्जन हेतु प्रक्रिया अपनायी जाय । राज्य के सभी समाहर्त्ता/उपायुक्त को भी इस संबंध में सर्वेक्षण कार्य तुरंत प्रारंभ करने एवं जहाँ भू-अर्जन की आवश्यकता हो वहाँ निधि को आवश्यकता सूचित करने का अनुदेश दिया जा रहा है ।

कृपया इस संबंध में कृत कार्रवाई से इस विभाग को भी अवगत कराने का कष्ट किया जाय ।

विश्वासभाजन

(डी० पी० महेश्वरी)
आयुक्त एवं सचिव ।

ज्ञापांक -8/खा0म0नीति/2/99-1102/रा० पटना -15, दिनांक 24.6.1999

प्रतिलिपि सभी समाहर्त्ता /उपायुक्त को सूचनार्थ एवं अविलम्ब आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

उनसे अनुरोध है कि वे कृपया अपने जिला के अधीन ग्रामीण क्षेत्रों का सर्वेक्षण कराकर उपलब्ध गैर मजरूआ भूमि सड़क निर्माणार्थ विधिवत हस्तान्तरण प्रस्ताव एवं भू-अर्जन प्रस्ताव निधि की आवश्यकता के साथ राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को भेजने का कष्ट करें ।

(डी० पी० महेश्वरी)
आयुक्त एवं सचिव ।

ज्ञापांक -1102/रा० पटना -15, दिनांक 24.6.1999

प्रतिलिपि सभी प्रमण्डलीय आयुक्त को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि कृपया अपने स्तर से भी इस लोकहित कार्यक्रम का कार्यान्वयन प्रगति की समीक्षा प्रत्येक माह मे नियमित रूप से करने का कष्ट किया जाय ।

(डी० पी० महेश्वरी)
आयुक्त एवं सचिव ।

पत्र संख्या :- 13/ क्षति० भू० पू० मध्य० - 1/96 - 158 / रा०,

बिहार सरकार,

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ।

प्रेषक,

श्री अलखदेव प्रसाद
सरकार के संयुक्त सचिव ।

सेवा में,

सभी समाहर्त्ता/उपायुक्त

पटना 15 दिनांक, 21.6.96

विषय :- क्षतिपूर्ति के लम्बित मामलों में त्वरित गति से सम्पन्न करने हेतु अभियान चलाने के सम्बन्ध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि सरकार को प्राय: क्षतिपूर्ति मामलों की गणना एवं भुगतान के संबंध में गड़बड़ी को शिकायत कई एक जिला से प्राप्त हुई है । फलस्वरुप सरकार द्वारा इस आलोक में कुद जिलों में जांच करायी गई है । इतना हीनहीं कुछ क्षतिपूर्ति अभिलेखों में सरकारी स्तर से समुचित कार्यवाई की जा रही है ।

प्राय: देखा जा रहा है कि बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1950 के प्रावधानों एवं समय-समय पर सरकार द्वारा निर्गत परिपत्रों एवं अनुदेशों का समुचित पालन दृढ़तापूर्वक नहीं किया जा रहा है तथा अंचल स्तर से जिला स्तर के संबंधित पदाधिकारियों/कर्मचारियों की मिलीभगत की आशंका को नजरन्दाज नहीं किया जा सकता है । आप अवगत हैं कि क्षतिपूर्ति मामलों की गणना की शुद्धता एवं उसके समुचित भुगतान को जवाबदेही पूर्णरूपेण जिला प्रशासन पर है । यही कारण है कि सरकार द्वारा भी उच्च स्तर के पदाधिकारियों को कुछ एक जिलों में भेजकर क्षतिपूर्ति मामलों में गणना एवं भुगतान के संबंध में टेस्ट चेकिंग करायी गयी है जिसमें अनेक अनियमितताये पायी गयी हैं । सरकार द्वारा भविष्य में क्षतिपूर्ति मामलों में गणना एवं भुगतान के कुछ मामलों में टेस्ट चेकिंग की व्यवस्था मुख्यालय से वरीय पदाधिकारियों को भेजकर की जा रही है ।

आये दिन क्षतिपूर्ति मामले के भुगतान में अत्याधिक विलम्ब की शिकायतें सरकार को प्राप्त होती रही है । फलस्वरुप कई मामलों में भूतपूर्व मध्यवर्ती माननीय उच्च न्यायालय में चले गये हैं, जिसमें पारित आदेशानुसार सरकार को बिहार भूमि सुधार अधिनियम के वर्णित प्रावधानों के विपरीत अध्यन्तरीय रूपमें दंडित दर से भुगतान करने के लिए बाध्य होना पड़ा है । इससे स्पष्ट होगा कि यह वित्तीय क्षति निश्चित रूप से जिला स्तर पर लम्बित क्षतिपूर्ति मामलों के निस्तार में अत्यधिक विलम्ब के कारण हो रही है ।

ठीक उसी प्रकार धार्मिक न्यास के अनेक मामलें जिला स्तर पर लंबित प्रतीत होते हैं । जिसपर समुचित ससमय कार्रवाई नहीं की जा रही है ।

अत: अनुरोध है कि अपने जिला में लम्बित क्षतिपूर्ति एवं धार्मिक न्यास के सभी लम्बित मामलों की समीक्षा का अभियान तुरत प्रारम्भ कीजाए एवं सुनिश्चित कियाजाए कि अक्टुबर ' 96 तक ऐसे सभी मामलों में जिसमें क्षतिपूर्ति भुगतान करना है नियमानुसार सत्यापन कराकर गणना की कारवाई सम्पन्न की जाय । क्षतिपूर्ति के निर्धारित सूची का बोर्ड के रूप में भुगतान हेतु इंडेन भारतीय रिजर्व बैंक, लोक कार्यालय पटना को निर्धारित कारवाई सम्पन्न कर शीघ्र भेज दिया जाए । अन्तिम गणना के आलोक में देय अध्यान्तरिम राशि नियमानुसार सुनिश्चित कर सरकार को बेसबार मांग पत्र भी भेजें, ताकि आर्वटन उपलब्ध कराई जा सके ।

धार्मिक न्यासों/ वक्फों की जांच भी शीघ्र सम्पन्न कर वार्षिकी की निर्धारण की कारवाई भी दिनांक 31.10.96 तक समाप्त किया जाना भी कृपया सुनिश्चित करें ।

विश्वासभाजन

(अलखदेव प्रसाद)
सरकार के संयुक्त सचिव ।

ज्ञापांक -158 / रा०, पटना - 16 दिनांक 21.6.96

प्रतिलिपि सभी प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

अनुरोध है कि जिला अधिकारियों/उपायुक्तों की प्रमंडलीय स्तर की बैठक में इसकी समीक्षा कर एक सुस्पष्ट प्रतिवेदन सरकार को भेजने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए ।

(अलखदेव प्रसाद)
सरकार के संयुक्त सचिव ।

पत्र संख्या :- 13/ क्षति० भू० पू० मध्य० - 1/96 - 46 / रा०,

बिहार सरकार,

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ।

प्रेषक,

श्री एस० एन० पी० एन० सिन्हा

आयुक्त एवं सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी/उपायुक्त ।

पटना 15 दिनांक, 2.3.96

विषय :- भूतपूर्व मध्यवर्तियों के बन्ध-पत्रों एवं अध्ययन्तरिम भुगतान की जांच के संबंध में ।

महाशय,

कतिपय जिलो में भूतपूर्व मध्यवर्तियों के बन्ध पत्रों एवं अध्ययनतरिम (ब्याज) के भुगतान के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई है । इस प्रसंग में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि आपके स्तर से सभी पुराने एवं नये मामलों की यथाशीघ्र विस्तृत जांच की जाए । अधिकतर मामले अपर समाहर्त्ता के स्तर से निष्पादित किए गए हैं एवं क्षतिपूर्ति अभिलेखों पर आपकी अनुशंसा एवं मन्तव्य उपलब्ध नहीं है । संभवत: भारतीय रिजर्व बैंक को बन्धपत्र के लिए व्यायदेश तथा सरकार को अध्यन्तरिम ब्याज का रिक्वीशन भेजने के पूर्व आपके समक्ष न तो अभिलेख एवं संचिका प्रस्तुत की जाती है न ही इन मामलो में आपका अनुमोदन प्राप्त किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक से बन्ध पत्र प्राप्ति के पश्चात तथा सरकार से अध्ययन्तरिम (ब्याज) का आवंटन प्राप्त होने के पश्चात बन्ध पत्र निर्गत करने के पूर्व एवं ब्याज की राशि व्यय करने के पूर्व संचिका में आपका अनुमोदन भी संभवत: प्राप्त नहीं किया जाता है । अत्यन्त खेद की स्थिति है, चूंकि आप जिला के राजस्व प्रशासन के वरीयतम प्रभारी है एवं राजस्व प्रशासन के सुचारु रूप से संचालन करने का अंतिम दायित्व आपका ही है । आप सहमत होंगे कि क्षतिपूर्ति गणना एव अभिलेखों के नियमानुसार निष्पादन मे यदि कोई अनियमितता या व्यतिरेक हो रहा है तो सही समय पर आपके स्तर से सकारात्मक हस्तक्षेप करके ही राजस्व प्रशासन में आवश्यक सुधार लाया जा सकता है एवं दोषी सरकारी कर्मचारियों एवं अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक प्रशासनिक एवं कानूनी कार्रवाई की जा सकती है ।

वर्णित परिस्थिति में भविष्य में आपके मार्गदर्शन के लिए निम्नांकित अनुदेश निर्गत किए जाते हैं, जिन्हें सख्ती से अनुपालन करने का अंतिम दायित्व आपका होगा :-

(क) बन्ध पत्र एव अध्यन्तरिम (ब्याज) के सभी निष्पादित मामलों का यथाशीघ्र आप स्वयं अभिलेख एवं संचिका मंगाकर विस्तृत समीक्षा कर लें तथा किसी प्रकार की अनियमितता पर अधोहस्ताक्षरी को अपना प्रतिवेदन समर्पित करें । दोषी या प्रभारी पदाधिकारी/कर्मचारी या क्षतिपूर्ति प्राप्त करनेवाले व्यक्ति के विरूद्ध आवश्यक प्रशासनिक एवं कानूनी कार्रवाई यथाशीघ्र अपने स्तर से की जाए एवं कृत कार्रवाई की जानकारी अधोहस्तक्षरी को दी जाए ।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक को पत्र के लिए व्यादेश भेजने के पूर्व एवं इस विभाग से अध्यन्तरिम (ब्याज) भुगतान हेतु रिक्वीजीशन भेजने के पूर्व अभिलेख एवं संचिका पर आपका स्पष्ट आदेश अनिवार्य होगा जो अभिलेख/संचिका की पूर्ण समीक्षा के बाद अंकित किया जाएगा और व्यादेश एवं मांग पत्र भी आपके हस्ताक्षर से निर्गत होंगे । लोक ऋण कार्यालय भारतीय रिजर्व बैंक को पूर्व में भेजे गये व्यावदेशों को अविलम्ब लौटाकर समीक्षा भी की जाय ।

(ग) आपके स्तर से क्षतिपूर्ति अभिलेखों की समीक्षा बिहार भूमि सुधार अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत के अन्तर्गत तथा सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों के आलोक में की जायेगी । साथ ही निहित जमीन्दारी हितों के मूल्यांकन प्रतिवेदन की परिशुद्धता कीजांच होगी ।

(घ) आपके स्तर के अभिलेखों की जांच पूरा होने तक भारतीय रिजर्व बैंक से जो भी बन्धपत्र कोषागार में प्राप्त होंगे तथा अध्यान्तरिम भुगतान के लिए जो भी आवंटन सरकार से प्राप्त हुए हैं उसकी विमुक्ति एवं भुगतान पर तत्काल रोक लगाया जाए एवं आपको पूर्ण संतुष्टि के उपरान्त ही बन्धपत्र या अध्यन्तरिम राशि विमुक्ति की जाए । विशेष रूप से आप यह सुनिश्चित करेंगे कि क्षतिपूर्ति निर्धारण काआधार सही है।

(ङ) क्षतिपूर्ति अभिलेखों से संबंधित यदि कोई मामला आपके या अपर समाहर्त्ता से पृथक किसी अन्य स्तर पर विचाराधीन हो तो इस संबंध में जिला प्रशासन द्वारा न्यायालय में समर्पित कोई भी प्रति शपथ पत्र या सुसंगत कागजात अपर समाहर्त्ता के माध्यम से राजस्व एवं भूमि सुधारविभाग में भेजकर इस विभाग द्वारा समीक्षित करा लिया जाए । न्यायिक पुनर्वलोकन (रिम्यू) या अपील समय पर किया जा सके इसे सुनिश्चित करना आपका दायित्व होगा ।

2- कृपया इस पत्र में विहित अनुदेशों की जानकारी अपने स्तरसे सभी संबंधित को दे दी जाय एवं अभिलेखों की सघन जांच का कार्य अविलम्ब प्रारम्भ करा दिया जाए ।

विश्वासभाजन

(एस० एन० पी० एन० सिन्हा)
आयुक्त एवं सचिव ।

ज्ञापांक -46 / रा०, पटना - 15 दिनांक 2.3.96

प्रतिलिपि सभी प्रमंडलीय आयुक्त सभी अपर समाहर्त्ता / सभी कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. प्रमंडलीय आयुक्त से अनुरोध है कि अपने प्रमंडलमें क्षतिपूर्ति अभिलेखों को जांच पूरा कराने एवं अनुवर्त्ती कार्रवाई सुनिश्चित करने की कृपा करेंगे एवं कृत कार्रवाई तथा परिणाम की जानकारी अधोहस्ताक्षरी को देने का कष्ट करेंगे ।

(एस० एन० पी० एन० सिन्हा)
आयुक्त एवं सचिव ।

ज्ञापांक -46 / रा०, पटना - 15 दिनांक 2.3.96

प्रतिलिपि प्रबन्धक भारतीय रिजर्व बैंक, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

(एस० एन० पी० एन० सिन्हा)
आयुक्त एवं सचिव ।

पत्र संख्या :- 13/ क्षति0 भू0 पू0 मध्य0 - 1/96 - 19 / रा०,

बिहार सरकार,

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ।

प्रेषक,

श्री एस0 एन0 पी0 एन0 सिन्हा
आयुक्त एवं सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी/उपायुक्त ।

पटना 15 दिनांक, 31.1.96

विषय :- बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1950 के अन्तर्गत भूतपूर्व मध्यवर्तियों के अध्यन्तरिम भुगतान के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि भूतपूर्व मध्यवर्तियों के अध्यन्तरिम राशि भुगतान में अनियमितता एवं गड़बड़ी की सूचनायें सरकारको प्राय: प्राप्त हो रही है । अध्यन्तरिम भुगतान के संबंध में समय समय पर सरकार द्वारा अनुदेश निर्गत कियाजाता रहाहै जिसका उल्लेख कम्पेडियम भोलम । एवंभोलम 2 में उद्धरित है । अध्यन्तरिम भुगतान में अनियमिकता एवं गड़बड़ियों में रोक लगाने के उद्देश्य से पूर्व में निर्गत सरकारी अनुदेशों को निम्नलिखित प्रतिलिपियों मार्ग दर्शन हेतु संलग्न की जाती है ।

1. पत्र संख्या 16 नीति 85-02/78-79 -4078 दिनांक 21.11.78
2. ई० viii / विविध - 7/55-5591 एल० आर० दिनांक 6/12 अक्टुबर 1955
3. ई० viii 147/55-684 एल० आर० दिनांक 24/25 जनवरी 1956
4. ई0 viii वि0 46/58-5803 एल0 आर0 दि0 13 अगस्त 1958 ।

अनुरोध है कि उपर्युक्त अनुदेशों के आलोक में लंबित अभिलेखों में अन्तिम गणना के उपरान्त अध्यन्तरिम भुगतान की कारवाई सुनिश्चित की जाय । सरकार से आवंटन की मांग करते समय इस बात का उल्लेख अवश्य किया जाय कि उक्त मध्यवर्तीयों के मामले मे अंतिम गणना का कार्य पूराकर लिया गया है तथा सक्षम पदाधिकारी द्वारा अध्यन्तरित की स्वीकृति प्राप्त कर लिया गया है । वार्षिक अध्यन्तिरिम की राशि तथा स्वीकृति करने वाले पदाधिकारी का नाम भी आवंटन के लिये भेजे जाने वाले मांग-पत्र में उल्लेख करना सुनिश्चित किया जाय ।

विश्वासभाजन

(एस0 एन0 पी0 एन0 सिन्हा)
आयुक्त एवं सचिव ।

ज्ञापांक -19 / रा०, पटना - 15 दिनांक 31.1.96

प्रतिलिपि सभी प्रमंडलीय आयुक्त को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि अपने स्तरसे भी समुचित कारवाई सुनिश्चित कराने की व्यवस्था करें ।

(एस0 एन0 पी0 एन0 सिन्हा)
आयुक्त एवं सचिव ।

(एस0 एन0 पी0 एन0 सिन्हा)
आयुक्त एवं सचिव ।

ज्ञापांक -19 / रा०, पटना - 15 दिनांक 31.1.96

प्रतिलिपि सभी अपर समाहर्त्ता/अनुमंडल पदाधिकारी/उप समाहर्त्ता भूमि सुधार को सुचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित ।

(अलखदेव प्रसाद)
सरकार के संयुक्त सचिव ।

पत्र संख्या :- 16- नीति - 85 -02/78-79 - 4078 रा०

बिहार सरकार,

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ।

प्रेषक,

श्री फूलचन्द सिंह

सरकार के सचिव ।

सेवा में,

सभी समाहर्त्ता,

पटना, दिनांक 21 नवम्बर 1978

विषय :- बिहार भूमि सुधार संशोधन अध्यादेश, 1973 तथा 1974 में अधिनियम प्रावधानों के अनुसार भतपूर्व मध्यवर्तियों/न्यासी को अध्यन्तरित चुकती का भुगतान ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक विभागीय परिपत्र संख्या 2939 रा0 दिनांक 7 जुलाई 1973 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे कहना है कि इसकी कंडिका 3(4) में समाविष्ट भूतपूर्व मध्यवर्तियों की अन्तरिम चुकता के भुगतान संबंधी अनुदेशों का अनुपालन स्थानीय पदाधिकारियों द्वारा सही तौर पर नहीं करने का सूचनाएं सरकारकोप्राप्त हो रहा है । ज्ञातव्य है कि बिहार भूमि सुधार (संशोधन) अध्यादेश एवं अधिनियम द्वारा धारा 33 में संशोधन हो जाने के फलस्वरुप भूतपूर्व मंध्यवर्तियों के 31 मार्च 1973 के बाद अध्यन्तरिम चुकती का भुगतान बन्द कर दिया गया है । साथ ही 31 मार्च 1973 तक के बकाये अध्यन्तरिम चुकती का भुगतान केवल वैसे ही केशों में करना है जिनमें सारी वैधिक औपचारिकताओं को करने के उपरान्त अंतिम क्षतिपूर्ति का निर्धारण हो गया हो और इस अंतिम क्षतिपूर्ति की राशि पर सन्निहन का तिथि 31 मार्च 1973 तक की अवधि के लिये 2½ प्रतिशत की दर से अध्यन्तरित चुकती के मद में भुगतान हेतु बकाया रह गयी हो । अतएव 31 मार्च 1973 के बाद किसी भी भूतपूर्व मध्यवर्ती को लगभग क्षतिपूर्ति की राशि पर 2½ प्रतिशत या 3 प्रतिशत की दर से वह चुकता का भुगतान नहीं करना है ।

2- अतः अनुरोध है कि आप तद्नुसार अपने अधीनस्थ सभी संबंधित पदाधिकारियों को सही स्थिति से अवगत करा देने की कृपा करें, और अंतिम क्षतिपूर्ति के सभी लंबित क्षेत्रों का निस्तार एक कालबद्ध योजना बनाकर निर्धारित अवधि के भीतर करने हेतु आवश्यक निर्देश देने का कष्ट करें ।

विश्वासभाजन

(फूलचन्द सिंह)

सरकार के सचिव ।

Memo no. E/VIII-Misc. 7/55-5591 - L. R. dated Patna the 6th/12th October 1955 by the Additional under secretary to the governmet of Bihar, Revenue Department to all District Officers (includingthe Additional Deputy Commissionar of Dhanbad) for information and necessary action receipt of these instructions and spare copies may be acknowledged and forwarded to the "Finance Department and Accountant General Bihar for information.

* Consulted un-officially

Comprehensive instructions regarding the procedure of calculation of the approximate amount of compensation for the purpose of ad interim payments undersection 33 of the Bihar Land Reforms Act, 1950.

SECTION I

INTRODUCTORY.

1. Ad interim payment is sanctioned to an outgoing intermediary under section 33 of the Bihar and Reforms Act 1950 (hereinafter referred to as 'the act') on the approximate amount of compensation calculated in the manner laid down in rules 25 A, 25 B, 25 C and 25 D of the Bihar Land Reforms Rules, 1951 (hereinafter referred to as 'the Rules')

SECTION II

POWERS.

2. The power to sanction ad interim payment has been delegated by Government as below :-

(a) where the ad interim payment to an outgoing intermediary does not exceed Rs. 1000 a year the collector of the district may sanction it;

(b) where it exceeds Rs. 1000 but does not exceed Rs. 2500 a year, the Livisional commissioner may sanction ad interim payment;

(c) where it exceeds Rs 2500 a year it is the State Government who may sanction thead interim payment;

(d) in the case of an estate or tenure heldunder trust the sanction of the State Government is required before any ad interim payment whether towards annuily or compensation in respect thereof is made;

(e) whenever ad interimpayment is sanctioned by the collector of a district or by a Divisional Commissioner, the collector of the district shall send a report to government giving details of the name of theoutgoing Intermediary his address the approximate amount of compensation the amount of ad interim payment and the period for which it is sanctioned no formal approval of government need be obtained before such sanction is accorded;

(f) Where an instalment of ad interim payment has once been sanctioned to an outcoming intermediary by the divisional commissioner or the Government i.e. under (b) or (c) above, the Collector of the district may sanction subsquent instalments of ad interim payment to the intermediary without obtaining fresh sanction of the Divisional Commissioner or the Government, as the case may be unless the amount of such instalment of ad interim payment varies by more than 10 percent from the amount originally sanctioned by the Divisional Commissioner or the government in which case fresh sanction of the Divisional commissioner or the Government as the case may be should be obtained.

Letter No. E/VIII-147 /55 -684-L. R. dated the patna the 24th/25th January 1956 from shree S.N.Chakravartee, additional under secretary to the Government of Bihar Revenue department, to all District officers including the Additional Deputy Commissioner of Dhanbad.

Subject : Delegation of powers regarding sanction of ad interim payments under section 33 of the Bihar Land Reforms Act, 1950.

I am directed to refer to paragraph 2 of the "comprehensive instruction" regarding sanction of ad interim payments, forwarded with this Departments memo no. 5591 L.R. dated the 12th October, 1955 and to say that Government consider that with the total abolition of zamindaris in the whole state the stage has now reached where with a view to expediting ad intrim payment to the outgoing intermediaries under section 33 of the Bihar Land Reforms Act, 1950, the power to sanction it should not be confinent only to the State Government, the Division commisioners and the collectors of the districts but should be delegated also to the Additional Collectors, the subdivisional officers and the additional subdivisional officers and also the monetary limits up to which the divisioal commissioner and the collectors of the districts are so far exercisingthe poers should be enhanced. Government have, therefore been please to decide that the revised delegation of powers so the various authorities to sanction ad interim payment will be as under;

(a) where the ad interim payment to an outgoing intermedially does not exceed Rs. 500 a year the subdivisional officer or the Additional subdivisional officer may sanction it.

(b) where it exceeds Rs. 500 but does not exceed Rs. 1000 a year the Additional Collector of the district may sanction the ad interim payment.

(c) where it exceeds Rs. 1000 but does not exceed Rs. 2000 a year the Collector of the district may sanction the ad interim payment.

(d) where it exceeds Rs. 2000 but does ot exceed Rs. 3500 a year the divisional Commissioner may sanction the ad interim payment.

(e) where it exceeds Rs. 3500 a year the State Govenment may sanction the ad interim payment.

(f) in case of a zamindari property held under trust, the sanction of the state government will be required before any ed interim payment whether towards annuity or compensation in respect thereof is made;

(g) whenver ad interim payment is sanctioned by any of the above mentioned authorities, other than the state governmet the collector of district shall send a report to Government giving the details of the name of the out-going intermediary his address the approximate amount of compensation the amoung of ad interim payment and the period for which it is sanctioned No formal approval of Government need be obtained before such sanction is accorded.

(h) where an instalment of ad interim payment has once been sanctioned to an outgoing incermediary by the Divisional commissioner or the Governmet i.e. under (d) or above, the collector of the district may sanction subsequent instalment of ad interium payment to the intermediary without obtaining fresh sanction of the Divisional Commissioner of the Government as the case may be unless the amount of such instalment of ad interiim payment varies

by more than 10 percent from the amount originally sanctioned by the Divisional commissions or the Government in which case fresh sanction of the divisional commissioner or the Government as the case may be should be obtained. Paragraph 2 of the comprehensive instructions will stand modified to the above extent.

2 In this connection I am to invite your attention to rule 25 (G) (ii) of the Bihar Land Reforms Rules, 1951 nd to say that the officer who sanctions the adinterim payment should also countersign the bill in T.C. Form no. 96 and it should not be necessary for the Collector of the District to countersign the bill, in each case. Where howeever the adinterim payment is sanctioned by the divisional commissioner or the State Government in (d) (e) or (f) paragraph 1 above, the collector or Additional collector of the district will counterisign the bill.

3. This supersedes the instructions contained in this Department letter no. 5828 L.R. dated the 13th October 1955.

Letter no. E/VIII-P-46 /58 -5803 LR. dated Patna the 13th August 1958 from N.P. Mathur, I.A.S. Secretry to the Government of Bihar, Revenue department to all Collectors.

Subject : Delegation of powers regarding sanction of ad-interim payment under section 33 of the Bihar Land Reforms Act, 1950.

In continuation of this Department's letter no. 1 61-LR. dated the 1th March 1958 on the above subject, I am directed to say that government have been pleased to decide that in cases of ad-interim payment towards compensation (other than trust cases) in which once sanction has been accorded by the higher authority subsequent payments may be sanctioned by the subordinate authority as follows, unless the amount of each of such instalment varies by more than 10 percent :-

	Name of the sanctioning authority for first instalment.	Name of the sanctioning authority for the subsqent instalment.
1.	State Government or Commissioner of the Division.	The Collector of the district
2.	The Collector of the district	The Additional Collector.
3.	The Additional Collector	The Subdivisional officer or the Additional sub-divisional Officer.
4.	The subdivisional Officer.	Deputy collector I.C. of Land Reforms.

2. Paragraph 2 of the comprehensive instructions will stand modified to the above extent.
3. Necessary action may kindly be taken accordingly.

पत्रसं० 11 भु० सु० -10-04/92 - 1206 रा०

बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

प्रेषक,

श्री आर० जयमोहन पिल्लै,
सरकार के सचिव ।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त
सभी जिलाधिकारी/उपायुक्त

पटना - 15, दिनांक 10.8.92

विषय :- बिहार अभिधृति (संशोधन) अधिनियम 1987 का कार्यान्वयन ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय पर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए विभागीय परिपत्र सं0 11/भू० सु0 -10-04/92/636 रा० दिनांक 25 मई, 1992 के क्रम में कहना है कि सरकार को यह सूचना प्राप्त हुई है कि बिहार अभिधृति (संशोधन) अधिनियम, 1987 के अंतर्गत निर्मित नियमावली के दिनांक 11 मार्च 1992 से प्रवृत्त हो जाने के बाद भी बिहार काश्तकारी अधिनियम की धारा -48 घ के प्रावधानों के अंतर्गत दर रैयतोंको रैयती हक प्रदान करने के मामले में कतिपय संशय तथा सुविधा राजस्व पदाधिकारियों को है । जैसा कि विभागीय परिपत्र की कंडिका -3 में वर्णित है उक्त नियमावली के अनुसार ऐसे अधिभोगी दर रैयतों को हीउनके द्वारा बटाईदारी में धारित भूमि पर रैयतीहक प्राप्त होगा जो उस पर लगातार 12 वर्षों तक बटाई कर चुके हों और आवेदन पत्र देने की तिथि को भी वे बटाईदार के रूप मे उस जमीन पर खेती करते हो ।

2- सर्वे के दौरान बटाईदारों अथवा शिकमीजमींदारों का नाम खतियान में दर्ज करने का प्रावधान है । इस प्रकार सर्वे खतियान में जिन बटाईदारों एवं शिकमीदारों का नाम अभिलिखित है तथा जिन्होंने 12 वर्ष या उससे अधिक अवधि बटाईदार अथवा शिकमीदारके रूप में पूरी कर ली है, उन्हें धारा 48 घ के अधीन रैयत का दर्जा देने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए ।

3- बिहार काश्तकारी अधिनियम की धारा - 48 (ङ) के अंतगत बटाईदारों की बेदखली अथवा संभावित बेदखली के मामले में भूमि सुधार उप-समाहर्त्ता के न्यायालय में यदि बटाईदार द्वारा बटाई में खेती करने की बात सिद्ध हो गई है तो उसके आधार पर 12 वर्ष की अवधि पूरी करने के बाद दर रैयत को अधिभोगी अधिकार प्राप्त करने का सबूत उपलब्ध हो जाता है । इसी प्रकार इसी अधिनियम की धारा -158 के अंतर्गत पारित आदेश द्वारा भी अधिभोगी दर रैयती अधिकार प्रमाणित किया जा सकता है ।

4- बटाई पर खेती देने के संबंध में जहां लिखित एकरारनामा किया गया हो वैसे मामले में दर रैयत के पक्ष में ऐसा एकरारनामा कागजी सबूत माना जा सकता है ।

5- संभव है कि ऐसे दर रैयत जिन्होंने अधिभोगी अधिकार अर्जित नहीं किया है, वे भी अंचल-अधिकारी को आवेदन पत्र दें । ऐसे मामलों में अंचलाधिकारी को जांच कर समुचित आदेश अविलम्ब देना चाहिए जिससे अनावश्यक रूप से रैयतों तथा दर रैयतो के बीच में वैमनस्य की भावना अथवा तनाव की स्थिति पैदा न हो । दर रैयतों को यह स्पष्ट कर देना चाहिए कि जिन दर रैयतों ने अधिभोगी अधिकार अर्जित किया है, वे हीइस नियमावली के प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई के लिए आवेदन पत्र दें ।

6- यहां बिहार काश्तकारी अधिनियम की धारा -48 ग के प्रावधानों की ओर भी ध्यान देना आवश्यक है । उक्त धारा के अंतर्गत ऐसे रैयत जिसके पास कुल 5 एकड़ सिंचित अथवा 10 एकड़ असिंचित जमीन ही हो, उनकी जमीन पर बटाईदारी में खेती करने वाले दर रैयत को कभी भी अधिभोगी अधिकार अर्जित नहीं होगा चाहे वह दर रैयत कितनी ही लम्बी अवधि से उस पर बटाईदारी में खेती करता हो । इसी प्रकार विधवा अंधा कुष्टरोगी एवं लकवा ग्रसित तथा विकृत-चित्त व्यक्ति या भारतीय संघ के स्थल, वायु अथवा नौ सेना कीसेवा में कार्यरत व्यक्ति की जमीन

पर किसी भी अवधि से बटाई खेती करनेवाले दर रैयत को अधिभोगी दर रैयत का अधिकार अर्जित नहीं होगा । इस विषय मे बिहार काश्तकारी अधिनियम की धारा 48-ग का स्पष्टीकरण सं0 -4 भी विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है जिसके अनुसार किसी अविभक्त हिन्दू परिवार का सदस्य जिसका भूमि में शेयर हो या जो शेयर का हकदार हो, इस धारा (अर्थात् 48 -ग) के प्रयोजनार्थ उसी प्रकार भू-स्वामी समझा जायगा मानो परिवार में विभाजन हो चुका हो ।

7- बटाईदारी के संबंध में बिहार काश्तकारी अधिनियम के शेष प्रावधान पूर्ववत् है । राजस्व विभाग के क्षेत्रीय पदाधिकारीं एवं कर्मचारियों का यह पुनीत कर्त्तव्य है कि जहां एक ओर वे दर रैयतों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए तत्परता से कार्य करें, वहीं दूसरी ओर जन साधारण के बीच में बटाईदारी के संबंध में फैल रही भ्रांतियों से बचने के लिए परामर्श एवं मार्मदर्शन दें ।

8- विषय महत्त्वपूर्ण है । इस विषय में की गई प्रगति तथा स्थिति की अनुमंडलीय, जिला एवं प्रमंडलीय स्तर पर नियमित रूप से समीक्षा की जाय ।

9- कृपया पत्र की प्राप्ति स्वीकार करें ।

विश्वासभाजन,

(आर० जयमोहन पिल्लै)
सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक 11/भू सु0 -100-4/92 - 1206 पटना, दिनांक 10.8.92

प्रतिलिपि सभी अपर समाहर्त्ता/अनुमंडल पदाधिकारी/भूमि सुधार उप-समाहर्त्ता एवं अंचल अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(राम लखन प्रसाद)
सरकार के उप सचिव ।

पत्र संख्या :- 11 /भू0 सु0-10-04/92 - 636 /रा०,

बिहार सरकार,

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ।

प्रेषक,

श्री फूल चन्द सिंह,
भूमि सुधार आयुक्त, बिहार ।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त,
सभी जिलाधिकारी/उपायुक्त ।

पटना, दिनांक 25.5.92

विषय :- बिहार अभिधृति (संशोधन) अधिनियम 1987 का कार्यान्वयन ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय पर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि बिहार काश्तकारी अधिनियम 1885 की धारा 48 (घ) के अन्तर्गत बिहार काश्तकारी (संशोधन) अधिनियम 1987 के द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि अधिभोगी दर रैयत यथाविहित भुगतान कर रैयती अधिकार अर्जित करने का हकदार होगा और उस भूमि पर से भूधारी रैयती का हक समाप्त हो जायेगा । ऐसी भूमि के रैयत को उसकी भूमि के वार्षिक लगान की 24 गुणी राशि मुआवजा के रूप में प्राप्त होगी । राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के परिपत्र संख्या 11/एल0 आर0-10-16/89-390 रा0 दिनांक 6.2.88 के साथ संशोधन अधिनियम की प्रति भेजी जा चुकी है ।

2. उक्त प्रावधानों को लागू करने के लिये नियमावली तैयार हो गई है । बिहार अभिधृति (संशोधन) नियमावली, 1992 के नाम से निर्मित इस नियमावली को बिहार गजट के असाधारण अंक में संख्या 11 भू0 सु0 10/91-156 रा० दिनांक 11 मार्च 1992 के द्वारा अंतिम रूप से अधि सूचित कर दिया गया है । यह नियमावली उक्त तिथि से प्रवृत्त भी हो गई है ।

3. उक्त नियमावली के अनुसार अधिभोगी दर रैयत, जो अपने द्वारा बटाईदारी में धारित जमीन के संबंध में रैयती अधिकार अर्जित करने का हकदार हो गया हो और नियमावली की उप धारा-1 के अधीन फार्म "ग" में अंचलाधिकारी के पास आवेदन करेगा जिसमें उस रैयत का नाम, पिता का नाम एवं पता का भी उल्लेख करेगा जिनकी भूमि वह अधिभोगी दर रैयत के रुप में धारित करने का दावा करता हो। साथ ही वह ऐसी भूमि की विशिष्टयों तथा जिस वर्ष से ऐसा दावा किया जाता हो, उसके दस्तावेजी साक्ष्य के साथ इस आशय का शपथ पत्र भी प्रेषित करेगाकि वह भूमि सुधार (अधिकतम सीमा निर्धारण और अधिशेष भूमि अर्जन) अधिनियम, 1961 के अधीन विहित सीमा से अधिक राज्य में कही भी कोई भूमि धारण नहीं करता है ।

4. अंचलाधिकारी ऐसे आवेदन पत्र प्राप्त होने पर इन्हें रजिस्टर - VIII (प्रवीर्ण रजिस्टर) में अंकित करेंगे । अंचलाधिकारी विहित प्रक्रिया अपनाकर और युक्ति युक्त सुनवाई कर विधिसम्मत आदेश पारित करेंगे ।

5. अंचलाधिकारी के आदेश के 30 दिनों के भीतर ऐसे मामले की अपील अनुमंडल पदाधिकारी के न्यायालय में कीजा सकेगी ।

6. उपर्युक्त प्रक्रिया को अपनाते हुए आदेश पारित करने के बाद बिहार अभिधृति अधिनियम 8, 1885 के उपबंधों के अधीन दर रैयत द्वारा जिस होल्डिंग का वह हकदार हो उसकी लगान के 24 गुणा के बराबर राशि अंचलाधिकारी की उपस्थिति में एक मुश्त अथवा उपर्युक्त किस्तों में जो 5 वार्षिक किस्तों से अधिक नहीं होगी, भुगतान कर देने पर उस भूमि में रैयत का अधिकार समाप्त हो जायेगा और उस भूमि की बाबत अधि भोगी दर रैयत रैयती अधिकार प्राप्त कर लेगा ।

7. कैडेस्टल सर्वे जहाँ पुनरीक्षित सर्वे नहीं हुआ है और पुनरीक्षित सर्वे में कई व्यक्तियों के नाम पर शिकमी खाता खोला गया है । इसके अतिरिक्त कई बटाईदारों का नाम धारा 488 के अंतर्गत भी दर्ज किया गया है । ऐसे व्यक्तियों के संबंध में कारवाई करने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए ।

८. कई मामले में बटाईदार अपना बटाईदारी का दावा भी प्रस्तुत करेंगे । इस मामलों का भी त्वरित निष्पादन आवश्यक है । इस संबंध में निजी खेती की परिभाषा में हुए संशोधन का भी ध्यान रखेंगे ।

9. इस नियमावली की प्रतियां पर्याप्त संख्या में आपके पास भेजी जारही है जिन्हें जिले के अपर समाहर्त्ता, अनुमंडल पदाधिकारी, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता तथा अंचलाधिकारी को अविलम्ब उपलब्ध करा दिया जाय ।

10. प्रमंडलीय स्तर पर जिला पदाधिकारियों की बैठक में तथा जिला/अनुमंडल स्तर पर अंचलाधिकारियों की बैठक में इस कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा नियमित रूप से की जाय तथा बटाईदारी मामलों के निष्पादन के संबंध में सरकार को भेजे जानेवाले प्रगति प्रतिवेदन में इस विषय की प्रगति भी अंकित की जाय ।

विश्वासभाजन

(फूल चन्द सिंह)
भूमि सुधार आयुक्त ।

ज्ञापांक 11-भू0 सु0 -10-04/92 - 636 रा0, पटना, दिनांक 25.5.92

प्रतिलिपि सभी अपर समाहर्त्ता/सभी अनुमंडलाधिकारी/सभी भूमि सुधार उप समाहर्त्ता एवं सभी अंचलाधिकारी को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(फूल चन्द सिंह)
भूमि सुधार आयुक्त, बिहार ।

गाँव का नाम	क्रम सं०	आवेदक (अधिभोगी दर रैयत) का नाम, पिता का नाम, पता	बटाईदारी के अन्तर्गत जमीन जिस पर दावा किया गया हो, के रैयत का नाम, पिता का नाम, पता	उस भूमि का विवरण जिसपर आवेदक अधिभोगी दर रैयत के रूप में रैयत अधिकार का दावा करता हो			
				गाँव का नाम थाना सं० और अंचल का नाम	होल्डिंग सं० खाता सं०	खेसरा सं०	रकबा और उसकी चौहद्दी
1	2	3	4	5	5(I)	5(II)	5(III)

वर्ष जब से अधिभोगी द्वारा दर रैयत के रूप में होल्डिंग पर कब्जा रखने का दावा किया गया हो।	आवेदन प्राप्त होने की तिथि	अंचलाधिकारी द्वारा अंतिम आदेश की तिथि	अंतिम आदेश का सारांश	अभिलेखाकार भंजन की तिथि चालान सं०	अभिलेखपाल द्वारा प्राप्ति की तिथि	अभ्युक्ति
6	7	8	9	10	11	12